राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804

Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांकःप. 116 / पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2022 / 417 दिनांक :– 31/05/2022

–:: आदेश ::–

Shri Bapuji Institute of Paramedical Science, Sujangarh bye Paas Ladnun Nagaur, Dist.-Nagaur, Rajasthan को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 441 दिनांक 07.09.2021 संस्थान को डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टैक्नोलोजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर टैक्नोलोजी, डिप्लोमा इन रेडिऐशन टैक्नोलोजी, डिप्लोमा इन ऑप्थोल्मिक टैक्नोलोजी, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से संचालित करने हेतु अस्थाई मान्यता प्रदान करने का सशर्त आदेश प्रसारित किया गया था।

उक्त आदेश में वर्णित शर्त संख्या 06 की पालना संस्थान को 15 दिवस के अंदर करने के निर्देश प्रदान किये गये थे उक्त शर्त की पूर्ण पालना नहीं होने की स्थिति में कारण स्पष्ट करने हेतु कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 287 दिनांक 27.04.2022 जारी किया जाकर उनसे दस्तावेज तलब किये गये उनके द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 68 दिनांक 02.05.2022 द्वारा अवगत करवाया कि संस्थान द्वारा पूर्व में दिनांक 15.09.2021 को समस्त रिकार्ड जमा करवा दिया गया था। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथा तकनीकी परीक्षण कराये जाने पर पाया गया कि :– As per Clinical establishmet act provisional registration certificate dated 03-03-2021 Institute is having hospital (Shri Ram Manglam Hospital, Ladnun) of VKGM, Society, Churu but Institute is run by Shri Baba Ramdev Medical Education Society, Didwana.

इस संबंध में पुनः संस्थान को इस कार्यालय के पत्रांक 341 दिनांक 06.05.2022 जारी कर व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रकरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया। संस्थान द्वारा जारी पत्र क्रमांक 242 दिनांक 29.05.2022 [redacted] इस कार्यालय में दिनांक 30.05.2022 को संलग्न दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत किया। संस्था द्वारा पूर्व में प्रेषित क्लिनिकल एस्टाब्लिस्मेंट एक्ट के पंजीयन दिनांक 03.03.2021 में Shri Ram Manglam Hospital, Ladnun में VKGM, Society, Churu से संचालित होना वर्णित किया गया है, जबकि पश्चातवर्ती प्रस्तुत क्लिनिकल एस्टाब्लिस्मेंट एक्ट के पंजीयन दिनांक 03.03.2021 में Shri Ram Manglam Hospital, Ladnun को **SBRMES, Society** से संचालित होना दर्शाया गया है। चिकित्सालय के क्लिनिकल एस्टाब्लिस्मेंट एक्ट के प्रस्तुत किये गये पंजीयन प्रमाण पत्रो में भिन्नता होने एवं दोनो प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय से एक ही पंजीयन क्रमांक 0811200044 व एक ही दिनांक 03.03.2021 से जारी होना पाया जाता है, **जो संदिग्धता की श्रेणी में आता है।** इस कारण यह निर्विवादित रूप से नहीं माना जा सकता कि संस्थान Shri Bapuji Institute of Paramedical Science, Sujangarh bye Paas Ladnun Nagaur, का Shri Ram Manglam Hospital, Ladnun स्वंय संस्थान का है।

अतः संस्थान द्वारा स्वंय के अस्पताल होने से संबंधित प्रावधान राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, एक्ट 2008 के नियम / विनियम 2014, संशोधित विनियम 2015 के 53 D(i),(ii) में वर्णित The Institute should have own Hospital/Lab की पालना सुनिश्चित नहीं किये जाने एवं संदिग्ध दस्तावेजात पेश करने के कारण राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारा 29 की शक्तियो का प्रयोग करते हुये Shri Bapuji Institute of Paramedical Science, Sujangarh bye Paas Ladnun Nagaur, Dist.-Nagaur, Rajasthan को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 441 दिनांक 07.09.2021 से डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टैक्नोलोजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर टैक्नोलोजी, डिप्लोमा इन रेडिऐशन टैक्नोलोजी, डिप्लोमा इन ऑप्थोल्मिक टैक्नोलोजी, हेतु दी गई मान्यता शैक्षणिक सत्र 2021–22 से वापिस (Withdraw) ली जाती है।

(कैलाश नारायण मीना)

R.A.S.

रजिस्ट्रार

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांकः पं. 116 / पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2022 / 417 दिनांकः– 31/05/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव / अध्यक्ष, Shri Baba Ramdev Medical Education Society, Didwana.
2. सचिव / अध्यक्ष, VKGM, Society, Churu.
3. प्रधानाचार्य, Shri Bapuji Institute of Paramedical Science, Sujangarh bye Paas Ladnun Nagaur, Dist.- Nagaur, Rajasthan
4. लेखा / काउन्सलिंग / परीक्षा / विधि / पंजीयन / स्टोर शाखा कार्यालय हाजा को पालनार्थ।
5. सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
6. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार